न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

समक्ष अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

वाद संख्या : 2012/80

1. राजेन्द्र कुमारी बेवा स्व0 ठा0 श्री हेमसिंह, पुत्री स्व0 ठा0 श्री बेरीसालसिंह, जाति राजपूत, निवासिनी खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1 सर्वदमनसिंह पुत्र स्व0 ठा0 जतनसिंह जाति राजपूत, निवासी खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री इन्द्रजीतसिंह पुत्र स्व0 ठा0 जतनसिंह जाति राजपूत, निवासी खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी नारायण निवास, कानोता बाग, नारायणसिंह सर्किल, टोंक रोड, जयपुर।
2. श्री रणजीतसिंह पुत्र स्व0 जतनसिंह जाति राजपूत, निवासी खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी मकान नं. 420, मनीराम जी की कोठी, देना बैंक के सामने, जौहरी बाजार जयपुर।
3. श्री सर्वदमनसिंह **(प्रार्थिनी के कायममुकाम के रूप में प्रतिस्थापित किया जाकर प्रार्थी सं0 1/1 बनाया गया)**
4. श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नी श्री रणजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी मकान नंबर 420, मनीराम जी की कोठी, देना बैंक के सामने, जौहरी बाजार, जयपुर।
5. तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय – दिनांक- 30/03/2021

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

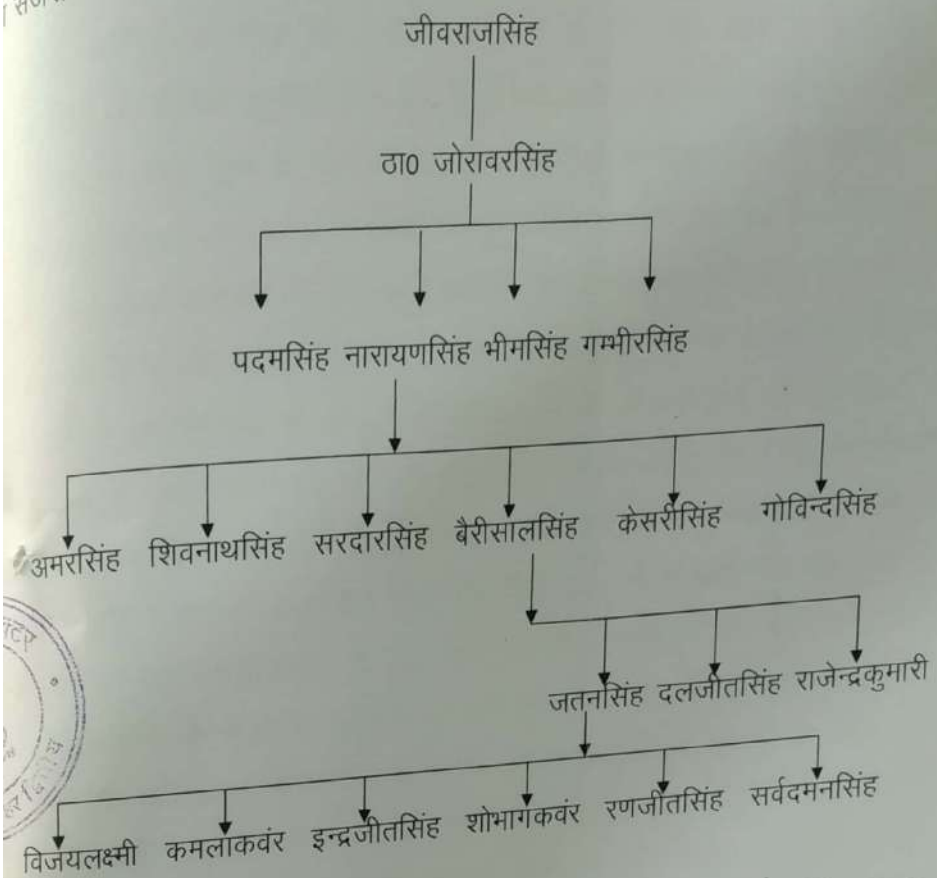

र्थिया की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसमें कित है कि प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण उक्त वर्णित पते के निवासी है। प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण । सजरा खानदान निम्न प्रकार से है –

क्त सजरा खानदान में दर्शितानुसार पक्षकारान के पितृपुरूष श्री जीवराजसिंह मूलतः कालीन मारवाड रियासत के पीलवा ठिकाने के ठिकानेदार थे। वे सन् 1849 में किसी र्यवश जयपुर आये तो तत्कालीन महाराजा रामसिंह ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित कर उन्हें अपनी रियासत में नौकरी पर रख लिया। श्री जीवराजसिंह के देहान्त के श्चात उनके पुत्र श्री जोरावरसिंह जयपुर रियासत की सेवा में लग गये जिन्हें महाराजा रा सन् 1871 में जयपुर रियासत के ग्राम काणोता की जागीर दी गई। सन् 1908 में ोरावरसिंह के देहान्त के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री नारायणसिंह जयपुर रियासत की वा में रहे व काणोता ठिकाने के जागीरदार बनें। श्री नारायणसिंह के छः पुत्र सर्व श्री मरसिंह, शिवनाथसिंह, सरदारसिंह, बैरीसालसिंह, केसरीसिंह व गोविन्दसिंह हुये। श्री ारायणसिंह के ज्येष्ठ पुत्र श्री अमरसिंह जी [illegible] समय तक जोधपुर रियासत की सेवा में ावायत रहने के बाद ब्रिटिश सेना की नौकरी पर चले गये थे [illegible] सेवानिवृति के श्चात् सन् 1923 में जयपुर राज्य की सेवा में आये। सन् 1924 [illegible] श्री नारायणसिंह का स्वर्गवास हो जाने पर उनके [illegible] श्री अमरसिंह जी सन् 1942 तक [illegible] रहे व काणोता ाणोता के जागीरदार बने। श्री अमरसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही अलग–अलग ठिकाने के जागीरदार रहे। श्री अमरसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पट्टे लिखकर जागीर स्थित अपनी खुदकाश्त भूमि को अपने पांच छोटे भाईयो को अलग-अलग दे दी। वादग्रस्त आराजी जो कि प्रार्थना पत्र की संलग्न अनुसूचियों में दर्ज है वह दिनांक 13 जनवरी सन् 1939 के पट्टे द्वारा श्री अमरसिंह जी द्वारा अपने छोटे भाई हाल प्रार्थिनी के पिता श्री बेरीसालसिंह जी को दी गई। प्रार्थीनी के पिता श्री बेरीसालसिंह जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे व प्रायः सांसारिक कार्यकलापों से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। उनकी ओर से उनके सारे कार्यकलाप उनके ज्येष्ठ पुत्र व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता श्री जतनसिंह ही संभालते थे। श्री बेरीसालसिंह जी का सन् 1964 में स्वर्गवास हो गया। प्रार्थीनी श्री बेरीसालसिंह जी की एक मात्र पुत्री थी जिसका विवाह श्री बेरीसालसिंह जी ने सन् 1944–45 के लगभग दांतारामगढ ठिकाने के ठिकानेदार श्री गंगासिंह जी के पुत्र श्री हेमसिंह जी के साथ किया। प्रार्थिनी विवाह के पश्चात् 6–7 वर्ष तक अपने पति के साथ ससुराल में निवास करती रही किन्तु प्रार्थिनी के पति द्वारा दूसरा विवाह कर लेने से प्रार्थिनी व उसके पति के मध्य मनमुटाव हो गया व प्रार्थिनी के पति ने प्रार्थिनी को वापस पीहर भेज दिया जिस पर प्रार्थिनी सन् 1952–53 से ही अपने पीहर ग्राम खोरी रोपाडा में अपने पिता श्री बेरीसालसिंह जी के पास आकर रहने लग गई। प्रार्थिनी के पति द्वारा प्रार्थिनी को परित्यक्त कर दिये जाने से प्रार्थिनी के पिता बडे दुःखी थे व उन्हे प्रार्थिनी के भविष्य की चिन्ता रहती थी। प्रार्थिनी के पिता श्री बेरीसालसिंह जी ने प्रार्थिनी के भविष्य को देखते हुये अपनी सम्पति में प्रार्थिनी को अपने दोनों पुत्रों सर्व श्री जतनसिंह व दलजीतसिंह के समान ही हक हिस्सा देना तैय किया। श्री बेरीसालसिह जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी कृषि भूमि का मौखिक विभाजन कर आधी भूमि अपने ज्येष्ठ पुत्र जतनसिंह को व आधी भूमि प्रार्थिनी को संभला दी। श्री बेरीसालसिंह ने अपने छोटे पुत्र दलजीतसिंह को चौकडी घाटदरवाजा, रास्ता कोठी मनीराम जी, गली छाबडान जयपुर शहर स्थित अपनी हवेली जिसका म्युनिसीपल न. 420 है, दे दी। छोटे पुत्र को श्री बेरीसालसिंह जी ने कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं दिया क्योंकि उन्होने उसे शहर स्थित मकान दिया। राजस्थान राज्य में जागीर उन्मूलन व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय श्री जतनसिंह श्री जी ने श्री बेरीसालसिंह जी की समस्त कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवा लिया। यद्यपि यह भूमि श्री बेरीसालसिंह जी की जागीर की भूमि में खुदकाश्त की भूमि थी व श्री जतनसिंह जी बेरीसालसिंह जी के पुत्र की हैसियत से ही उक्त भूमि को काश्त कर रहे थे एवं तत्समय श्री जतनसिंह जी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था अतः भूमि राजस्व रिकॉर्ड में श्री बेरीसालसिंह के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु श्री बेरीसाल सिंह जी द्वारा कोई ऐतराज न करने व विशेषकर श्री बेरीसालसिंह जी द्वारा इस के कारण कि अन्ततोगत्वा भूमि सन्तानों को ही जानी है, उन्होनें भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जतनसिंह का नाम दर्ज होने का ऐतराज नहीं किया व भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जतनसिंह

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जी के नाम से दर्ज रही। प्रार्थिनी के पिता ने कृषि भूमि में प्रार्थिनी को आधा हिस्सा देना तैया किया था इस संबंध में अपने इष्ट मित्रों व शुभचिन्तकों के सामने सम्पति का मौखिक बंटवारा करते हुये अपने पुत्रों को ताकीद किया था कि "शहर का मकान दलजीतसिंह का रहेगा व गांव की जमीन में जतनसिंह व राजेन्द्रकुमारी जिन्हें श्री बेरीसालसिंह प्यार से 'झुम्मी' कहकर पुकारा करते थे का आधा–आधा हिस्सा रहेगा।" प्रार्थिनी के पिता श्री बेरीसालसिंह जी ने अपने देहान्त (सन् 1964) के पूर्व भी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री जतनसिंह को बुलाकर निर्देश दिये थे कि जब भी 'झुम्मी' कहे उसके हिस्से की जमीन उसके नाम लगवा देना। प्रार्थिनी के भाई श्री जतनसिंह व प्रार्थिनी के मध्य भी जीवन पर्यन्त संबंध मधुर रहे व प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थिनी के भाई श्री जतनसिंह जी ने ही वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिनी के 1/2 हिस्से की आराजी को काश्त किया/करवाया व प्राप्त उपज की आय से प्रार्थिनी भरण–पोषण किया। हिस्से अनुसार प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि का लगान भी जतनसिंह जी द्वारा उपज में से काटकर जमा करा दिया जाता जिस संबंध में कभी कोई विवाद नहीं रहा। प्रार्थिनी के भाई श्री जतनसिंह जी का देहान्त सन् 1986 में हो गया। भाई के देहान्त के पश्चात प्रार्थिनी ने वादग्रस्त आराजी में से आधी भूमि को अपने भतीजों अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के साथ पूर्व के मनबंट के अनुसार स्वंय काश्त करवाना शुरू कर दिया व प्राप्त उपज को अपने जीवनयापन में काम में लेती रही। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने पिता के देहान्त के पश्चात् प्रार्थिनी को बुआ की हैसियत से यथाति सम्मान दिया। प्रार्थिनी अपने हिस्से की आराजी को कभी अप्रार्थी संख्या 3 को भी काश्त के लिये बता दिया करती क्योंकि वह ग्राम खोरी में ही निवास कर कृषि कार्य करता है। प्रार्थिनी के शेष दो भतीजे अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी नौकरी में रहा व अप्रार्थी संख्या 2 अपने अन्य व्यवसाय में व्यस्त रहा इस कारण उन्होने कभी व्यक्तिशः वादग्रस्त आराजी में काश्त नहीं की। प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण के मध्य संबंध मधुर रहे इस कारण प्रार्थिनी को कभी यह नौबत भी नहीं आई कि वह वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 पर दबाव डालती। इसके अलावा भी जतनसिंह जी ने अपने देहान्त से पूर्व अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर इस बात के लिये ताकीद किया था कि प्रार्थिनी जब भी चाहे वे उसके हिस्से की भूमि उसके नाम करवाने में कोई विवाद उत्पन्न न करे न ही प्रार्थिनी को किसी प्रकार की तकलीफ व कष्ट होने देवे अपितु यथोचित प्रा[illegible] करें। गत मई 2011 में प्रार्थिनी जब प्रार्थना पत्र के संलग्न अनुसूचियों में दर्ज आराजी [illegible] हिस्से की आराजी पर काश्त करवा रही थी तो अप्रार्थी संख्या 2 मौके पर आया [illegible] प्रार्थिनी के कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थिनी को कहा कि आराजी [illegible] आराजी पर उसका (प्रार्थिनी का) कोई हक अधिकार नहीं है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी उनके पिता श्री जतनसिंह जी के नाम से दर्ज है जिनके देहान्त के पश्चात् उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

उनके तीनो पुत्रों व उनकी माता तोपकंवर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने यह भी बतलाया कि उक्त भूमि में से तोपकंवर ने अपने हिस्से की भूमि की वसीयत उसकी (अप्रार्थी संख्या 2 की) पत्नी उर्मिलाकंवर के नाम से कर दी है इस प्रकार उक्त भूमि में उर्मिला कंवर का 1/4 हिस्सा हैं। प्रार्थिनी ने अप्रार्थी संख्या 2 से गहन पूछताछ की तो अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थिनी को यह भी बतलाया कि उक्त भूमि बाबत् काफी मुकदमेंबाजी चल चुकी है व अभी भी उर्मिलाकंवर के हिस्से की भूमि व उसकी वसीयत के संबंध में मुकदमा जिला न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त तथ्य बतलाये जाने से प्रार्थिनी को घोर आश्चर्य हुआ। उसने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 से बातचीत की व उन्हें अपने पिता व दादा के वचनों व निर्देशों का हवाला देते हुये कहा कि वे रिश्तों की मधुरता की आड में अब तक प्रार्थिनी को धोखा देते आ रहें है प्रार्थिनी अब ओर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि प्रार्थिनी के नाम करवाये तो अप्रार्थीगण टालमटोल करने लग गये। अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त भूमि बाबत् न्यायालय में वाद विचाराधीन है प्रार्थिनी को जो कुछ कहना है उक्त वाद में उपस्थित होकर कहे। इस पर प्रार्थिनी ने जिला न्यायालय जयपुर शहर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी उर्मिलाकंवर बनाम इन्द्रजीतसंह व अन्य में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थिनी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के पश्चात पुनः अप्रार्थीगण से वादग्रस्त आराजी में से अपने 1/2 हिस्से की आराजी अपने नाम करवाने का आग्रह किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी को श्री जतनसिंह जी की स्वअर्जित आराजी बतलाते हुये प्रार्थिनी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक–अधिकार होने से इन्कार करने लग गये। बेरीसालसिंह को उक्त भूमि अपने बडे भाई एवं ठिकाने के जागीरदार श्री अमरसिंह जी द्वारा दिनांक 13 जनवरी सन् 1939 के पट्टे द्वारा दी गई थी इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पक्षकारान् की पैतृक सम्पत्ति है। वादग्रस्त आराजी के श्री जतनसिंह की स्वअर्जित आराजी न होने व पिता श्री बेरीसालसिंह जी से विरासत में प्राप्त होने की पुष्टि जतनसिंह जी व उनके भाई भी दलजीतसिंह जी के मध्य शहर में स्थित हवेली के विभाजन के वाद उनवानी "श्री जतनसिंह बनाम श्री दलजीतसिंह व अन्य" में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) जयपुर शहर (पूर्व) जयपुर द्वारा दिनांक 28.02.1994 को पारित निर्णय व डिक्री से भी हो जाती है जिसमें न्यायालय हाजा ने जतनसिंह जी द्वारा दलजीतसिंह जी को दी ... गांव की जमीन जतनसिंह जी को दे ... के अधिकारी दी थी" इस कारण जतनसिंह जी हवेली की सम्पत्ति का विभाजन ... द्वारा पारित नहीं है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) जयपुर शहर (पूर्व) ... न्यायाधीश क02 उक्त निर्णय की पुष्टि अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला ... अपील खारिज कर दी। जयपुर शहर जयपुर ने करते हुये जतनसिंह जी द्वारा प्रस्तुत अपील ... खारिज कर दी। इस जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दी गई है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रकार वादग्रस्त आराजी जतनसिंह जी की स्वअर्जित आराजी नहीं थी अपितु उन्हें पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थिनी का भी जतनसिंह जी के समान बराबर हक हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थिनी का प्रथम दृष्टया मामला बखुबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार फरमाया जाकर उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे दौराने वाद, वाद व प्रार्थना पत्र के संलग्न अनुसूचि (ग) में दर्ज भूमि बाबत् किसी प्रकार से रहन, बेचान, अन्तरण की कार्यवाही न करें। न उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण परिवर्तन परिवर्धन करे। न प्रार्थिनी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर प्रार्थिनी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करे। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त कृत्य न स्वंय करे न किसी अन्य से करावे। अप्रार्थी संख्या 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने वाद वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अनुसूचि (क)

साबिक खसरा नंबर	साबिका रकबा	हाल खसरा	हाल रकबा
131	12 बिस्वा	172	0.15 है0
132	15 बिस्वा	168	0.13 है0
		172	0.04 है0
133	6 बिस्वा	169	0.08 है0
134	1 बीघा 5 बिस्वा	169	0.31 है0
135	1 बीघा 9 बिस्वा	170	0.05 है0
		171	0.35 है0
136	16 बिस्वा	173	0.20 है0
137	3 बिस्वा	152/646	0.02 है0
		151/647	0.02 है0
296	15 बिस्वा	409	0.19 है0
		288	0.13 है0
297	6 बिस्व	408	0.05 है0
		409	0.02 है0
			[illegible] है0
298	6 बिस्वा	289	[illegible]
299	5 बिस्वा	28?	[illegible] है0
300	6 बिस्वा	29?	[illegible]
303	14 बिस्वा	406	[illegible] है0
304	1 बीघा	406	0.19 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

305	2 बीघा 5 बिस्वा	407	0.16 है0
306	12 बिस्वा	405	0.55 है0
307	1 बीघा 6 बिस्वा	411	0.16 है0
308	1 बीघा 1 बिस्वा	412	0.30 है0
309	5 बिस्वा	410	0.27 है0
		420	0.07 है0
310	12 बिस्वा	288	0.03 है0
		419	0.10 है0
311	1 बीघा 6 बिस्वा	422	0.05 है0
312	11 बिस्वा	422	0.33 है0
		421	0.12 है0
313	1 बीघा 2 बिस्वा	422	0.02 है0
		421	0.25 है0
314	9 बिस्वा	422	0.03 है0
		424	0.12 है0
315	1 बीघा 18 बिस्वा	288	0.02 है0
		424	0.49 है0
316	3 बीघा 1 बिस्वा	288	0.10 है0
317	4 बिस्वा	423	0.86 है0
318	7 बीघा 11 बिस्वा	425	0.04 है0
		426	0.11 है
		427	01.02 है0
		436	0.93 है0
319	1 बीघा 10 बिस्वा	433	0.39 है0
320	1 बीघा 7 बिस्वा	434	0.32 है0
		435	0.02 है0
321	1 बीघा 5 बिस्वा	435	0.31 है0
322	1 बीघा 14 बिस्वा	428	0.43 है0
323	11 बिस्वा	428	है0
		434	है0
324	2 बीघा 7 बिस्वा	429	57 है0

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

		428	0.02 हे0
325	14 बिस्वा	430	0.18 हे0
326	4 बिस्वा	430	0.05 हे0
327	1 बीघा 3 बिस्वा	431	0.29 हे0
328	5 बिस्वा	434	0.06 हे0
329	1 बीघा 8 बिस्वा	432	0.36 हे0
334	14 बिस्वा	429 430 431 432	0.04 हे0 0.01 हे0 0.03 हे0 0.11 हे0
335	15 बिस्वा	416	0.18 हे0
336	2 बिस्वा	416	0.02 हे0
337	15 बिस्वा	417	0.20 हे0
338	8 बिस्वा	418	0.10 हे0
339	12 बिस्वा	413	0.13 हे0
340	5 बिस्वा	413	0.05 हे0
341	4 बिस्वा	414	0.05 हे0
342	1 बीघा	415	0.24 हे0
343	18 बिस्वा	414	0.23 हे0
344	1 बीघा 16 बिस्वा	414	0.44 हे0
345	2 बीघा	403 404	0.13 हे0 0.38 हे0
347	4 बिस्वा	402	0.04 हे0
377,378,379,380,381	9 बीघा 6 बिस्वा	437 452	2.20 हे0 0.16 हे0
382	13 बिस्वा	437	0.17 हे0
383	8 बिस्वा	452	0.11 हे0
384	5 बीघा 18 बिस्वा	452	[illegible] हे0
385,386,387	5 बीघा 8 बिस्वा	[illegible] 454	[illegible] हे0 [illegible] हे0
388	2 बीघा 3 बिस्वा	454 453	0.18 हे0 0.36 हे0

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

389	1 बीघा 12 बिस्वा	454	0.18 है0
		453	0.15 है0
		456	0.08 है0
390	2 बीघा 18 बिस्वा	453	0.41 है0
		456	0.32 है0
391	14 बिस्वा	456	0.18 है0
392	5 बीघा 15 बिस्वा	455	0.30 है0
		456	0.88 है0
		458	0.25 है0
393	2 बीघा 3 बिस्वा	458	0.54 है0
394	2 बीघा 8 बिस्वा	457	0.01 है0
		458	0.59 है0
395	1 बीघा 11 बिस्वा	458	0.39 है0
396	1 बीघा 15 बिस्वा	458	0.43 है0
397	1 बीघा 16 बिस्वा	458	0.41 है0
398	2 बीघा 15 बिस्वा	459	0.70 है0
399, 400	2 बीघा 13 बिस्वा	455	0.10 है0
		459	0.57 है0
401	14 बिस्वा	463	0.18 है0
402	1 बीघा 16 बिस्वा	463	0.40 है0
		470	0.05 है0
403	1 बीघा 16 बिस्वा	463	0.14 है0
		466	0.30 है0
404	18 बिस्वा	463	0.23 है0
405	18 बिस्वा	464	0.23 है0
406	2 बीघा 12 बिस्वा	464	0.37 है0
		465	0.29 है0
407	2 बीघा 7 बिस्वा	464	0.60 है0
408	1 बीघा 1 बिस्वा	465	0.29 है0
409	1 बीघा 3 बिस्वा	465	0.29 है0
410	2 बीघा 15 बिस्वा	465	0.18 है0
		465/642	0.22 है0

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

411	1 बीघा 8 बिस्वा	472	0.33 है0
412	1 बीघा 7 बिस्वा	472	0.38 है0
413	1 बीघा 2 बिस्वा	472	0.36 है0
414	1 बीघा 4 बिस्वा	472	0.31 है0
		471	0.07 है0
		473	0.26 है0
415	1 बीघा 8 बिस्व	471	0.10 है0
		473	0.29 है0
416	1 बीघा 19 बिस्वा	471	0.50 है0
417	1 बीघा 14 बिस्वा	465/643	0.17 है0
		471	0.26 है0
418	16 बिस्वा	466	0.19 है0
419	4 बिस्वा	467	0.19 है0
		468	0.01 है0
420	1 बीघा 10 बिस्वा	468	0.18 है0
		469	0.15 है0
		470	0.05 है0
421	8 बिस्वा	469	0.02 है0
		470	0.08 है0
422	3 बिस्वा	461	0.03 है0
423	1 बीघा 19 बिस्वा	462	0.47 है0
424	1 बीघा 18 बिस्वा	460	0.29 है0
		462	0.19 है0
425	1 बीघा 16 बिस्वा	460	0.06 है0
		469	0.34 है0
		470	0.06 है0
426	1 बीघा 1 बिस्वा	469	0.03 है0
		470	0.24 है0
427	1 बीघा	469	0.20 है0
		470	0.05 है0
428	3 बीघा 6 बिस्वा	470	0.83 है0
429	3 बीघा 6 बिस्वा	470	0.83 है0

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

430	1 बीघा 14 बिस्वा	475	0.43 है0
431	1 बीघा 14 बिस्वा	470	0.36 है0
		475	0.07 है0
432	1 बीघा 7 बिस्वा	475	0.34 है0
433	1 बीघा 13 बिस्वा	473	0.46 है0
434	1 बीघा 6 बिस्वा	472	0.15 है0
		473	0.20 है0
435	1 बीघा 6 बिस्वा	472	0.36 है0
436	1 बीघा 10 बिस्वा	478	0.38 है0
437	1 बीघा 14 बिस्वा	478	0.43 है0
438	16 बिस्वा	478	0.43 है0
439	2 बीघा 3 बिस्वा	475	0.33 है0
		476	0.11 है0
		478	0.10 है0
440	1 बीघा 10 बिस्वा	472	0.38 है0
441	18 बिस्वा	476	0.23 है0
442	2 बीघा 1 बिस्वा	476	0.45 है0
		490	0.10 है0
443	1 बीघा 9 बिस्वा	476	0.32 है0
		489	0.04 है0
444	1 बीघा 13 बिस्वा	477	0.60 है0
		478	0.20 है0
445	1 बीघा 5 बिस्वा	479	0.03 है0
446	2 बीघा 6 बिस्वा	478	0.32 है0
		480 / 644	0.25 है0
447	2 बीघा	480	0.50 है0
448	2 बीघा 16 बिस्वा	481	0.10 है0
		482	[illegible]
		485	[illegible]
		486	0.06 है0
449	2 बीघा 5 बिस्वा	481	0.30 है0
		486	0.21 है0

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

450	1 बीघा 4 बिस्वा	487	0.21 है0
451	12 बिस्वा	488	0.11 है0
452	4 बीघा 3 बिस्वा	488	0.15 है0
		492	0.24 है0
		493	0.24 है0
		494	0.17 है0
		497	0.34 है0
453	4 बीघा	498	0.06 है0
		501 / 636	0.77 है0
		501 / 636 / 658	0.17 है0
		514 / 659	0.09 है0
454	2 बीघा 3 बिस्वा	514 / 659	0.11 है0
		514	0.45 है0
455	1 बीघा 13 बिस्वा	491	0.40 है0
		514 / 687	0.04 है0
		498 / 672	0.05 है0
456	1 बीघा 14 बिस्वा	515 / 667	0.20 है0
		514	0.20 है0
457	2 बीघा 1 बिस्वा	515	0.45 है0
458	3 बीघा 1 बिस्वा	515	0.66 है0
459	2 बीघा 12 बिस्वा	515	0.55 है0
460	2 बीघा 16 बिस्वा	516	0.69 है0
461	2 बीघा 7 बिस्वा	516	0.57 है0
		516 / 666	0.05 है0
462	1 बीघा 11 बिस्वा	517	0.28 है
		517 / 665	0.06 है0
463	2 बीघा 7 बिस्वा	514	0.38 है
		515 / 667	0.20 है0
464	18 बिस्वा	513	0.14 है
		513 / 660	0.07 है0
465	2 बीघा 11 बिस्वा	510	0.28 है0
		511	0.07 है0
		512	0.12 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

		512/661	0.07 है0
		510/662	0.09 है0
		510/664	0.05 है0
466	3 बीघा 7 बिस्वा	501	0.20 है0
		501/636	0.56 है0
		501/663	0.09 है0
469	2 बीघा 3 बिस्वा	501	0.54 है0
433/512	3 बिस्वा	473	0.03 है0
		474	0.01 है0
448/513	1 बीघा 14 बिस्वा	485/657	0.18 है0
		485	0.25 है0
136/521	1 बीघा 15 बिस्वा	150	0.20 है0
		174	0.17 है0
		173	0.06 है0
150/522	2 बीघा 4 बिस्वा	176	0.44 है0
		177	0.01 है0
		178	0.07 है0
			0.02 है0
कुल किता खसरा नंबर 140	कुल रकबा 226 बीघा 15 बिस्वा		कुल रकबा 57.78 है0

अनुसूचि (ख)

(1) हाल खाता संख्या :– 8

खसरा नंबर 511 रकबा 0.07 है0, 512/661 रकबा 0.07 है0, 513/660 रकबा 0.07 है0, 514/659 रकबा 0.20 है0, 703/501 रकबा 1.33 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर।

(2) हाल खाता संख्या :– 31

खसरा नंबर 150 रकबा 0.20 है0, 151/647 रकबा 0.02 है0, 152/646 रकबा 0.02 है0, 168 रकबा 0.13 है0, 169 रकबा 0.39 है0, 170 रकबा 0.05 है0, 171 रकबा 0.35 है0, 172 रकबा 0.19 है0, 173 रकबा 0.26 है0, 174 रकबा [illegible] है0, [illegible] रकबा 0.44 है0, 177 रकबा 0.01 है0, 178 रकबा 0.07 है0, [illegible]/649 रकबा [illegible] है0, कुल किता 14 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर।

(3) हाल खाता संख्या :– 34

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खसरा नंबर 488 रकबा 0.26 है0, 489 रकबा 0.04 है0, 490 रकबा 0.10 है0, 491 रकबा 0.40 है0, 492 रकबा 0.24 है0, 493 रकबा 0.24 है0, 494 रकबा 0.17 है0, 497 रकबा 0.34 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर।

(4) हाल खाता संख्या :– 37

खसरा नंबर 485/657 रकबा 0.18 है0

(5) हाल खाता संख्या :– 38

खसरा नंबर 479 रकबा 0.03 है0, 480 रकबा 0.50 है0, 481 रकबा 0.40 है0, 482 रकबा 0.25 है0, 485 रकबा 0.50 है0, 486 रकबा 0.27 है0, 487 रकबा 0.21 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर

(6) हाल खाता संख्या :– 76

खसरा नंबर 498 रकबा 0.06 है0, 498/672 रकबा 0.05 है0, 512 रकबा 0.12 है0, 513 रकबा 0.14 है0, 514 रकबा 1.03 है0, 514/687 रकबा 0.04 है0, 705/501 रकबा 0.17 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर।

(7) हाल खाता संख्या :– 77

खसरा नंबर 501/663 रकबा 0.09 है0, 510/662 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0

(8) हाल खाता संख्या :–83

खसरा नंबर 112 रकबा 0.13 है0, 113 रकबा 0.10 है0, 114 रकबा 0.14 है0, 510/664 रकबा 0.05 है0, 515/667 रकबा 0.40 है0, 516/666 रकबा 0.05 है0, 517/665 रकबा 0.06 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर

अनुसूचि (ग)

हाल खाता संख्या :– 3

खसरा नंबर 279 रकबा 0.17 है0, 280 रकबा 0.24 है0, 281 रकबा 0.37 है0, 282 रकबा 0.06 है0, 288 रकबा 0.28 है0, 289 रकबा 0.14 है0, 292 रकबा 0.04 है0, 402 रकबा 0.04 है0, 403 रकबा 0.13 है0, 404 रकबा 0.38 है0, 405 रकबा 0.55 है0, 406 रकबा 0.35 है0, 407 रकबा 0.08 है0, 408 रकबा 0.05 है0, 409 रकबा 0.21 है0, 410 रकबा 0.27 है0, 411 रकबा 0.16 है0, 412 रकबा 0.30 है0, 413 रकबा 0.18 है0, 414 रकबा 0.72 है0, 415 रकबा 0.24 है0, 416 रकबा 0.20 है0, 417 [illegible] रकबा 0.10 है0, 419 रकबा 0.10 है0, 420 रकबा 0.07 है0, [illegible] रकबा 0.37 [illegible] 42[illegible] रकबा 0.43 है0, 423 रकबा 0.86 है0, 424 रकबा 0.61 है0, 425 रकबा 0.04 है0, [illegible] रकबा 0.11 है0, 427 रकबा 1.02 है0, 428 रकबा 0.52 है0, 429 [illegible] रकबा 0.24 है0, 431 रकबा 0.38 है0, 432 रकबा 0.47 है0, 433 रकबा 0.39 है0, 434 रकबा 0.34 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

435 रकबा 0.37 है0, 436 रकबा 0.91 है0, 437 रकबा 2.37 है0, 452 रकबा 1.79 है0, 453 रकबा 2.04 है0, 454 रकबा 0.61 है0, 455 रकबा 0.40 है0, 456 रकबा 1.46 है0, 457 रकबा 0.01 है0, 458 रकबा 2.61 है0, 459 रकबा 1.27 है0, 460 रकबा 0.35 है0, 461 रकबा 0.03 है0, 462 रकबा 0.66 है0, 463 रकबा 0.95 है0, 464 रकबा 1.20 है0, 465 रकबा 1.02 है0, 465/642 रकबा 0.22 है0, 466 रकबा 0.49 है0, 467 रकबा 0.01 है0, 468 रकबा 0.22 है0, 469 रकबा 0.74 है0, 470 रकबा 2.61 है0, 471 रकबा 0.93 है0, 471/643 रकबा 0.17 है0, 472 रकबा 1.89 है0, 473 रकबा 1.24 है0, 474 रकबा 0.01 है0, 475 रकबा 1.55 है0, 476 रकबा 1.11 है0, 477 रकबा 0.60 है0, 478 रकबा 1.63 है0, 480/644 रकबा 0.25 है0, 510 रकबा 0.28 है0, 515 रकबा 1.66 है0, 516 रकबा 1.26 है0, 517 रकबा 0.28 है0, 704/501 रकबा 0.74 है0 **कुल किता खसरा नंबर 78 कुल रकबा 47.96 हैक्टेयर।**

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ फोटो प्रतिलिपित पट्टा दिनांक 13.01.1939, हिन्दी अनुवाद उक्त पट्टा दिनांक 13.01.1939, प्रतिलिपि मिसल बन्दोबस्त साबिका खाता संख्या 45 सम्वत् 2015 से 2034 कुल किता खसरा नंबर 140 कुल रकबा 226 बीघा 11 बिस्वा, प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल उपरोक्त खसरा नंबरान्, फोटो प्रति नामांतकरण संख्या 34 दिनांक 08.10.1997, फोटो प्रतिलिपि हाल जमाबंदी हाल खाता संख्या 3, 8, 34, 36, 37, 37, 39, 76, 77, 81, 83, 131 स्थित ग्राम खोरी रोपाडा, फोटो प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री वाद संख्या 348/93 दिनांक 28.02.1994 जो जतनसिंह बनाम दलजीतसिंह में पारित हुआ, फोटो प्रति निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.98 जो अपील संख्या 7/1994 में पारित हुआ, फोटो प्रति निर्णय दिनांक 17.01.09 जो द्वितीय अपील संख्या 105/99 में पारित हुआ, फोटोप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीया/वादीया की मृत्यु होने पर वसीयत के आधार पर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 **(प्रार्थिनी के कायममुकाम के रूप में प्रतिस्थापित किया जाकर प्रार्थी सं0 1/1 बनाया गया)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया। जवाब टीआई में अंकित है कि प्रार्थीया द्वारा जो दावा किया गया है उसमें प्रार्थिनी का क्या तात्पर्य है स्पष्ट नही है। नारायणसिंह कानावत के जागीरदार होना तो स्वीकार है। मजरे से वादीगण किस प्रकार से जायदाद हासिल करना चाहती है स्वयं सिद्व करें। अमर सिंह द्वारा बैरीसाल सिंह जी को पट्टा दिया जाना स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि जतन सिंह

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

भी खुदकाश्त की भूमि थी प्रार्थिनी ने जो तथ्य लिखे है वह गलत हैं। बल्कि सही बात यह है कि बैरीसाल सिंह जी के जीवनकाल से जतन सिंह बहैसियत खातेदार काश्तकार रहे है एवं खाता बैरीसाल सिंह जी के जीवनकाल में ही बन गया था। जिसे बैरीसाल सिंह जी ने कभी चुनौती नही दी अर्थात जतन सिंह को जायदाद विरासत में नही मिली थी, बतौर खुदकाश्त काबिज होने के कारण खातेदार बने थे। प्रार्थिनी की शादी दातारामगढ के ठिकानेदार गंगा सिंह के पुत्र हेम सिंह के साथ हुई थी स्वीकार है शेष तथ्य प्रार्थिनी ने मनगढंत दर्ज किये है। बैरीसाल सिंह जी ने प्रार्थिनी एवं अपने दोनो पुत्रों को जायदाद बहिस्सा देने को कोई तय नही किया था और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है। बैरीसाल सिंह जी ने कोई भूमि अपने जीवनकाल में विभाजित नही की थी बल्कि सही बात यह है कि जागीर के जमाने से जतन सिंह बतौर कृषक काश्त करने से ही उसके नाम पर्चा खातेवारी आया था प्रार्थीनी का यह कथन कि बैरीसाल सिंह जी ने प्रार्थीनी को अपने दोनो पुत्रों के समान हक देना तय किया था सर्वथा गलत है प्रार्थीनी ने चौकडी घाट दरवाजा रास्ता कोठी मणीराम जी में स्थित हवेली जिसका नंबर 420 है उसे बैरीसाल सिंह जी द्वारा अपने छोटे बेटे दलजीत सिंह को देने की बात की उसे कृषि भूमि में कोई हिस्सा न देना बताया है यह सब बात प्रार्थीनी की मिथ्या साबित हुई है क्योंकि इसके बारे में अर्थात कोठीमणी रामजी की हवेली नंबर 420 के संबंध में एक वाद प्रार्थीनी राजेन्द्र कुमारी व अप्रार्थीगण के मध्य सिविल न्यायालय में चला था जिसमें कोठी बैरीसाल सिंह द्वारा द्वारा दलजीत सिंह को अकेले को दनो नही माना और जतन सिंह की कृषि भूमि जिसका पर्चा खातेदारी संवत् 2012 में अर्थात् सन् 1955 से खातेदारी में होने के कारण उच्च न्यायालय ने जतन सिंह की जो भूमि दावे में वर्णित है उनकी स्व–अर्जित सम्पत्ति मानी है इसलिए प्रार्थीनी का वाद में वर्णित जायदाद अनुसूचि 'क,ख,ग,घ' में वर्णित की है उससे कोई संबंध नही है। जतन सिंह सन् 1955 के पूर्व से ही बालिग हो चुके थे एवं जागीरदार के जमाने से काबिज काश्त होने से जतन सिंह के नाम पर्चा खातेदारी हुई और उक्त पर्चा खातेदारी को बैरीसाल सिंह जी ने अपने जीवनकाल में कभी चुनौती नही दी अर्थात बैरीसाल सिंह जी स्वयं ने भूमि जतन सिंह की खुदकाश्त होना मानी हैं। बल्कि सही बात यह है कि जो पर्चा खातेदारी उनकी जमीन का उन्हें मिला था उसमें कुछ भूमि का बैचान बैरीसाल सिंह के जीवनकाल में ही कर दिया था जिसकी जानकारी बैरीसाल सिंह जी को रही है। बैरीसाल सिंह जी ने जतन सिंह को कोई निर्देश प्रार्थीनी राजेन्द्र कुमारी के लिये नही दिये [illegible] जतन सिंह की खातेदारी की भूमि से कभी नही रहा है। प्रार्थीनी ने उपज को [illegible] प्राप्त करने का तथ्य लिखा है झूठा व बनावटी हैं। जतन सिंह [illegible] सन् 1986 में [illegible] स्वीकार है और उनकी मृत्यु के पश्चात वारिसों के नाम नामान्तरकरण होना स्वीकार है [illegible] सन् 2011 में वाद के संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में प्रार्थीनी का व उनके पिता बैरीसाल सिंह जी का ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

ही कोई संबंध न ही रहा तो प्रार्थीनी द्वारा काश्त करने मौके पर आने की बात व प्रार्थीनी को कृषि व्यवधान करने की बात प्रार्थीनी ने मनगढंत बनावटी व झूठी दर्ज की हैं। यह सही है कि जतन सिंह जी की बेवा तोफ कंवर के नाम जतन सिंह की मृत्यु के बाद नामान्तकरण खुला उसमें तोफ कंवर ने अपने हिससे की भूमि जरिये वसीयत अप्रार्थी उर्मिला कंवर को कर दी थी, और उस आधार पर तोफ कंवर की मृत्यु के पश्चात उर्मिला कंवर ही उनके हिस्से की भूमि की खातेार काश्तकार है तथा वसीयत के बारे में जो प्रार्थीनी ने विवाद चलना कहा है वह भी गलत है क्योंकि वसीयत की प्रोबेट सिविल न्यायालय द्वारा उर्मिला कंवर के हक में की है बल्कि प्रार्थीनी राजेन्द्र कुमारी का प्रोबेट में पक्षकार बनने का आवेदन भी खारिज हो चुका है। जिस हवेली व जमीनो के बारे में प्रार्थीनी सिविल न्यायालय में वाद होना कहती है उसका दिनांक 31.05.2017 को निर्णय हो चुका है जो अब नये सिरे से निर्णित नही किया जा सकता तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात यह वाद भी चलने योग्य नही है, ना ही प्रार्थीनी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या केस हैं। अनुसूचित (ख) में वर्णित भूमि जतन सिंह जी ने बहैसियत खातेदार काश्तकार अर्जित की है तो प्रार्थीनी का कोई संबंध ही नही है तो उसकी सहमति की भी कोई आवश्यकता नही थी और भूमि अनुसूचि (क) व (ग) में वर्णित भूमि जतन सिंह जी के वारिसों में उनको विरासत में सही रूप से प्राप्त हुई है प्रार्थीनी अनुसूचि (ख) में दर्ज भूमि के हस्तान्तरण को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये भी अन्य भूमि की घोषणा चाही हैं, गलत है क्योंकि जतन सिंह जी की समस्त जायदाद का निर्णय अलग अलग नही हो सकता। इस कारण से भी प्रार्थीनी को कोई बिनाय वाद उत्पन्न नही होता है इस कारण से भी प्रार्थीनी का वाद कुछ भूमि के लिये वाद चलना कुछ भूमि के लिये वाद न चलना कानूनन चलने योग्य नही है। इसलिए प्रार्थीनी मिन उत्तरदाता के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि विवादग्रस्त भूमि व कोठी जिसका नंबर 420 है इसके विषय में विवाद होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय से दिनांक 31/05/2017 को निर्णय हो चुका है जिसमें कृषि भूमि जिसका पर्चा जतन सिंह को मिला था उसे उनकी स्व–अर्जित होने के कारण विभाजन योग्य नही मानी थी और उच्च न्यायालय ने जतन सिंह की स्व–अर्जित मान ली तो नये सिरे से उस पर निर्णय देने का अधिकार न तो जरिये वाद प्रार्थीनी को प्राप्त है और न ही न्यायालय को प्राप्त है और वाद बाई बाई लॉ होने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीनी ... कुमारी अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि की न तो ... थी और न ही ... विवादग्रस्त भूमि के लिये वसीयत करने की भी अधिकारिणी ... सन् 2017 में हो गया और सर्वदमन सिंह जो अप्रार्थी है उसे वाद ... ने को अधिकार ... या है। जबकि सही बात यह है कि राजेन्द्र कुमारी की मृत्यु के समय भूमि उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खातेदारी में नही थी तो वसीयत में किसी भी प्रकार से कोई अधिकार सर्वदमन सिंह को नही प्राप्त हो सकते है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र टीआई पेश न करने पर जवाब टीआई का अवसर बंद किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संलग्न अनुसूचियों में दर्ज है वह दिनांक 13 जनवरी सन् 1939 को पट्टे द्वारा श्री अमरसिंह जी द्वारा अपने छोटे भाई हाल प्रार्थिनी के पिता श्री बेरीसालसिंह जी को दी गई थी। प्रार्थीनी के पिता श्री बेरीसालसिंह जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे व प्रायः सांसारिक कार्यकलापों से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। उनकी ओर से उनके सारे कार्यकलाप उनके ज्येष्ठ पुत्र व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता श्री जतनसिंह ही संभालते थे। श्री बेरीसालसिंह जी का सन् 1964 में स्वर्गवास हो गया। श्री बेरीसालसिह जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी कृषि भूमि का मौखिक विभाजन कर आधी भूमि अपने ज्येष्ठ पुत्र जतनसिंह को व आधी भूमि प्रार्थिनी को संभला दी। श्री बेरीसालसिंह ने अपने छोटे पुत्र दलजीतसिंह को चौकडी घाटदरवाजा, रास्ता कोठी मनीराम जी, गली छाबडान जयपुर शहर स्थित अपनी हवेली जिसका म्युनिसीपल न. 420 हैं, दे दी। छोटे पुत्र को श्री बेरीसालसिंह जी ने कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं दिया क्योंकि उन्होने उसे शहर स्थित मकान दिया। राजस्थान राज्य में जागीर उन्मूलन व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में अपने के समय श्री जतनसिंह जी ने श्री बेरीसालसिंह जी की समस्त कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवा लिया। यद्यपि यह भूमि श्री बेरीसालसिंह जी की जागीर की भूमि में खुदकाश्त की भूमि थी व श्री जतनसिंह जी बेरीसालसिंह जी के पुत्र की हैसियत से ही उक्त भूमि को काश्त कर रहे थे एवं तत्समय श्री जतनसिंह जी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं था अतः भूमि राजस्व रिकॉर्ड में श्री बेरीसालसिंह के नाम से ही दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु श्री बेरीसाल सिंह जी द्वारा कोई ऐतराज न करने व विशेषतः श्री बेरीसालसिंह जी द्वारा यह मानने के कारण कि अन्ततोगत्वा भूमि सन्तानों को ही जानी है, उन्होनें भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जतनसिंह का नाम दर्ज होने का ऐतराज नहीं किया व भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जतनसिंह जी के नाम से दर्ज रही। प्रार्थीनी के पिता ने कृषि भूमि में प्रार्थिनी को आधा हिस्सा देना तैया किया था इस संबंध में अपने इष्ट मित्रों व शुभचिन्तकों को सामने सम्पति का मौखिक बंटवारा करते हुये पुत्रों को ताकीद किया था कि "शहर का मकान दलजीतसिंह का रहेगा व गांव की जमीन में जतनसिंह व शान्तकुमारी जिन्हें बेरीसालसिंह प्यार से 'झुम्मी' कहकर पुकारा करते थे का आधा–आधा हिस्सा रहेगा।" प्रार्थिनी के पिता श्री बेरीसालसिंह जी ने अपने देहान्त (सन् 1964) के पूर्व भी अपने ज्येष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पुत्र श्री जतनसिंह को बुलाकर निर्देश दिये थे कि जब भी 'झुम्मी' कहे उसके हिस्से की जमीन उसके नाम लगवा देना। वादग्रस्त आराजी के श्री जतनसिंह की स्वअर्जित आराजी न होने व पिता श्री बेरीसालसिंह जी से विरासत में प्राप्त होने की पुष्टि जतनसिंह जी व उनके भाई भी दलजीतसिंह जी के मध्य शहर में स्थित हवेली के विभाजन के वाद दीवानी "श्री जतनसिंह बनाम श्री दलजीतसिंह व अन्य" में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) जयपुर शहर (पूर्व) जयपुर द्वारा दिनांक 28.02.1994 को पारित निर्णय व डिक्री से भी हो जाती है जिसमें न्यायालय हाजा ने जतनसिंह जी द्वारा दलजीतसिंह जी को दी थी व गांव की जमीन जतनसिंह जी को दे दी थी" इस कारण जतनसिंह जी हवेली की सम्पत्ति का विभाजन करा पाने के अधिकारी नहीं है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) जयपुर शहर (पूर्व) जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय की पुष्टि अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क02 जयपुर शहर जयपुर ने करते हुये जतनसिंह जी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दी गई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी जतनसिंह जी की स्वअर्जित आराजी नहीं थी अपितु उन्हें पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थिनी का भी जतनसिंह जी के समान बराबर हक हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थिनी का प्रथम दृष्टया मामला बखुबी साबित है। अतः मान्य न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार फरमाया जाकर उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे दौराने वाद, वाद व प्रार्थना पत्र के संलग्न अनुसूचि (ग) में दर्ज भूमि बाबत् किसी प्रकार से रहन, बेचान, अन्तरण की कार्यवाही न करें।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि जतन सिंह की खुदकाश्त की भूमि थी। श्री बैरीसाल सिंह जी के जीवनकाल से जतन सिंह बहैसियत खातेदार काश्तकार रहे है एवं खाता बैरीसाल सिंह जी के जीवनकाल में ही बन गया था। जिसे बैरीसाल सिंह जी ने कभी चुनौती नही दी अर्थात जतन सिंह को जायदाद विरासत में नही मिली थी, बतौर खुदकाश्त काबिज होने के कारण खातेदार बने थे। बैरीसाल सिंह जी ने प्रार्थिनी एवं अपने दोनो पुत्रों को जायदाद बहिस्सा देने को कोई तय नही किया था और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है। प्रार्थीनी अनुसूचि (ख) में दर्ज भूमि के हस्तान्तरण को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये भी अन्य भूमि की घोषणा चाही हैं, गलत है क्योंकि जतन सिंह जी की समस्त [illegible] अलग नही हो सकता। इस कारण से भी प्रार्थीनी [illegible] होता है इस कारण से भी प्रार्थीनी का वाद कुछ भूमि के लिये वाद चलना कुछ [illegible] लिये वाद न चलना कानूनन चलने योग्य नही है। इसलिए [illegible] विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थीनी राजेन्द्र कुमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि की न तो खातेदार थी और न ही मालिक थी तो वह ग्रस्त भूमि के लिये वसीयत करने की भी अधिकारिणी नही थी। प्रार्थीनी का देहान्त 2017 में हो गया और सर्वदमन सिंह जो अप्रार्थी है उसे वाद चलाने को अधिकार या है। जबकि सही बात यह है कि राजेन्द्र कुमारी की मृत्यु के समय भूमि उनकी तेदारी में नही थी तो वसीयत में किसी भी प्रकार से कोई अधिकार सर्वदमन सिंह को ही प्राप्त हो सकते है। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.टी. 2014 (2) पेज 1301, आरआरटी. 2013 (1) पेज 123, आरबी.जे. 2016 पेज 09, आरआरडी. 1996 पेज 28 पेश किये।

बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि संलग्न अनुसूचि (ग) में दर्ज भूमि को अपने पिता श्री बेरीसालसिंह जी की भूमि बताते हुये वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का प्रस्तुत किया है। प्रकरण में मूल विवाद खातेदारी से संबंधित है कि वादग्रस्त आराजीयात स्व0 श्री बेरीसालसिंह जी की है अथवा स्व0 श्री जतन सिंह की स्वअर्जित है। राजस्व रिकॉर्ड में हाल इन्द्राज के विरूद्व प्रार्थीया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है अथवा नही यह मूलवाद में पर्याप्त साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्धारित किया किया जाता है। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया की होना संभावित है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात हाल खाता संख्या 3 खसरा नंबर 279 रकबा 0.17 है0, 280 रकबा 0.24 है0, 281 रकबा 0.37 है0, 282 रकबा 0.06 है0, 288 रकबा 0.28 है0, 289 रकबा 0.14 है0, 292 रकबा 0.04 है0, 402 रकबा 0.04 है0, 403 रकबा 0.13 है0, 404 रकबा 0.38 है0, 405 रकबा 0.55 है0, 406 रकबा 0.35 है0, 407 रकबा 0.08 है0, 408 रकबा 0.05 है0, 409 रकबा 0.21 है0, 410 रकबा 0.27 है0, 411 रकबा 0.16 है0, 412 रकबा 0.30 है0, 413 रकबा 0.18 है0, 414 रकबा 0.72 है0, 415 रकबा 0.24 है0, 416 रकबा 0.20 है0, 417 रकबा 0.20 है0, 418 रकबा 0.10 है0, 419 रकबा 0.10 है0, 420 रकबा 0.07 है0, 421 रकबा 0.37 है0, 422 रकबा 0.43 है0, 423 रकबा 0.86 है0, 424 रकबा 0.61 है0, 425 रकबा 0.04 [illegible] 11 है0, 427 रकबा 1.02 है0, 428 रकबा 0.52 है0, [illegible] रकबा 0.24 है0, 431 रकबा 0.38 है0, 432 रकबा 0.47 है0, [illegible] 0.39 है0, [illegible] रकबा 0.34 है0, 435 रकबा 0.37 है0, 436 रकबा 0.91 है0, 437 रकबा 2.37 [illegible] रकबा 1.79 है0, 453 रकबा 2.04 है0, 454 रकबा 0.61 है0, 455 रकबा 0.40 है0, 456 रकबा 1.46 है0, 457 रकबा 0.01 है0, 458 रकबा 2.61 है0, 459 रकबा 1.27 है0, 460 रकबा 0.35 है0,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

461 रकबा 0.03 है0, 462 रकबा 0.66 है0, 463 रकबा 0.95 है0, 464 रकबा 1.20 है0, 465 रकबा 1.02 है0, 465/642 रकबा 0.22 है0, 466 रकबा 0.49 है0, 467 रकबा 0.01 है0, 468 रकबा 0.22 है0, 469 रकबा 0.74 है0, 470 रकबा 2.61 है0, 471 रकबा 0.93 है0, 471/643 रकबा 0.17 है0, 472 रकबा 1.89 है0, 473 रकबा 1.24 है0, 474 रकबा 0.01 है0, 475 रकबा 1.55 है0, 476 रकबा 1.11 है0, 477 रकबा 0.60 है0, 478 रकबा 1.63 है0, 480/644 रकबा 0.25 है0, 510 रकबा 0.28 है0, 515 रकबा 1.66 है0, 516 रकबा 1.26 है0, 517 रकबा 0.28 है0, 704/501 रकबा 0.74 है0 **कुल किता खसरा नंबर 78 कुल रकबा 47.96 हैक्टेयर** वाकै ग्राम खोरी रोपाडा पटवार हल्का लूनियावास भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। -

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner